संख्या–32(1)/ xxiv(8)/2010–29/09

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (गढ़वाल)।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 24 :फरवरी, 2010

विषय– **के0एल0पालीटेक्निक, रूड़की, हरिद्वार के लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत की गयी धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6117/नि0प्रा0शि0/प्लान छैः–01/2008–09, दिनांक 07.01.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि में से के0एल0 पालीटैक्निक, रूड़की (हरिद्वार) हेतु रू0 38.68 लाख (रूपये अड़तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित् शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय संस्थान के कार्मिकों के वेतनादि मदों में ही किया जायेगा। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम सग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

5– व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है, साथ ही सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित प्रतिबन्ध एवं शर्तो का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामलें में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0–13 पर नियमित रूप से सूचना विलम्बतः 15 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

8– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2203–तकनीकी शिक्षा–104–अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता–03–के0एल0पालीटेक्निक, रूड़की–00–आयोजनेत्तर–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–449(NP)/XXVII(3)/09-10, दिनांक 22.02.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रधानाचार्य, के0एल0 पालीटैक्निक, रूड़की (हरिद्वार)।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौडी/श्रीनगर/रूड़की/हरिद्वार।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।